न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 10 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. कालुराम पुत्र सुजाराम 2. सेसाराम पुत्र सुजाराम मृतक उन्दरराम पुत्र सुजाराम के 3. का0मु0 उत्तराधिकारी— 3 / 1 जवरीलाल पुत्र उन्दरराम 3 / 2 सुरेश पुत्र उन्दरराम 4. भंवरलाल पुत्र सुजाराम तमाम जातिगण माली निवारीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

1. **श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित**
2. **तहसीलदार सोजत उपस्थित**

—: निर्णय :— दिनांक — 05/05/2025

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया तह0 सोजत के ख.नं. 159, 160 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.3400 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त भूमि में वादी सं0 1 कालुराम का 1 / 4 हिस्सा, वादी संख्या 2 सेसाराम का 1 / 4 हिस्सा, वादी संख्या 3 / 1 जवरीलाल का 1 / 8 हिस्सा, वादी संख्या 3 / 2 सुरेश का 1 / 8 व वादी संख्या 4 भंवरलाल पुत्र सुजाराम का 1 / 4 हिस्सा खातेदारी हक हकूक बनता है। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पूर्व में भैराराम वल्द हुकमाराम, धन्नाराम पुत्र सावलराम के नाम की खातेदारी दर्जसुदा थी, तत्पश्चात् वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि के 1 / 2 हिस्से का विक्रय धन्नाराम पुत्र सावलराम ने अपनी बहिन दाखुदेवी पत्नी सुजाराम के पक्ष में कर दिया तथा शेष 1 / 2 हिस्से का विक्रय भगाराम वल्द हुकमाराम के वारिसान चुन्नीलाल, नेनाराम, नाराराम, श्याम, बाबु, जवरीलाल पिसरान भगाराम, मीरा बेवा भगाराम, भीवाराम पुत्र भैराराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दाखुदेवी पत्नी सुजाराम के पक्ष में दिनांक 06 / 03 / 1998 को कर दिया, तत्पश्चात् नामान्तरण संख्या 49 के अनुसार भैराराम वगैरा के स्थान पर दाखुदेवी पत्नी सुजाराम की खातेदारी दर्ज की गई, लेकिन सहवन से पैन ऑफ मिस्टेक से दाखुदेवी पत्नी सुजाराम के स्थान पर दाखुदेवी पत्नी सुरजमल अंकित कर दिया गया, जबकि सुजाराम व सुरजमल दोनो एक ही व्यक्ति है तथा अन्य कोई भी व्यक्ति उक्त नाम का ग्राम बासनी तिलवाड़ीया व नेहड़ा बेरा में निवास नहीं करता है। उक्त सुजाराम का परिवार राशन कार्ड, मतादाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सभी जगह सुजाराम ही अंकित है व वादी संख्या 1 व 2 के आधार कार्ड में भी उनकी वल्दीयत सुजाराम ही अंकित है तथा दाखुदेवी पत्नी सुजाराम के परिवार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि में दाखुदेवी पत्नी सुजाराम ही अंकित है। दाखुदेवी पत्नी सुजाराम की मृत्यु दिनांक 23/06/2014 को हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण ही बतौर उत्तराधिकारी वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर काबिज काश्त है। दाखुदेवी पत्नी सुजाराम की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में आज दिनांक तक दाखुदेवी पत्नी सुरजमल ही नाम अंकित है, जो कि पैन ऑफ मिस्टेक से हुई सदभाविक त्रुटी है, जिसका दुरूस्त करवा कर कालुराम पुत्र सुजाराम, सेसाराम पुत्र सुजाराम, जवरीलाल पुत्र उन्दरराम, सुरेश पुत्र उन्दरराम, भंवरलाल पुत्र सुजाराम को बतौर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर डिक्री इस आशय की सादर फरमायी जावे कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़ीया के खसरा नम्बर 159, 160 के रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में दाखुदेवी पत्नी सुरजमल के स्थान पर दाखुदेवी पत्नी सुजाराम दुरूस्त करते हुये वादीगण कालुराम पुत्र सुजाराम, सेसाराम पुत्र सुजाराम, जवरीलाल पुत्र उन्दरराम, सुरेश पुत्र उन्दरराम भंवरलाल पुत्र सुजाराम को खातेदार घोषित किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया गया।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/211 दिनांक 22.02.2024 के जरिये दाखुदेवी पत्नि सुरजमल के स्थान पर दाखु देवी पत्नि सुजाराम किये जाने की अनुशंषा की हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादीगण के पूर्वज सुजाराम के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, वादीगण की माता/दादी दाखु देवी के मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, बिदिया देवी पत्नि उन्दर जी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, उन्दर जी पुत्र सुजाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, कालुराम, सेसाराम के आधार कार्ड की प्रति, पंजीकृत हकत्याग पत्र की फोटो प्रति, पर्चा लागन की फोटो प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2033—42, 2048—51, 2052—55, 2068—71, 2076—79 की प्रमाणित प्रति पेश की, सा0मि0 हैं।

अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़ीया के खसरा नम्बर 159, 160 के रेवेन्यू रेकर्ड जमाबन्दी में दाखुदेवी पत्नी सुरजमल के स्थान पर दाखुदेवी पत्नी सुजाराम दुरूस्त करते हुये वादीगण कालुराम पुत्र सुजाराम, सेसाराम पुत्र सुजाराम, जवरीलाल पुत्र उन्दरराम, सुरेश पुत्र उन्दरराम भंवरलाल पुत्र सुजाराम को खातेदार घोषित किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादीगण के पूर्वज सुजाराम के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, वादीगण की माता/दादी दाखु देवी के मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, बिदिया देवी पत्नि उन्दर जी के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, उन्दर जी पुत्र सुजाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, कालुराम, सेसाराम के आधार कार्ड की प्रति, पंजीकृत हकत्याग पत्र की फोटो प्रति, पर्चा लागन की फोटो प्रति, जमाबंदी सम्वत् 2033–42, 2048–51, 2052–55, 2068–71, 2076–79 की प्रमाणित प्रति पेश किये हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में वादीगण के पिता/दादा का नाम सुरजमल नहीं होकर सुजाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज दाखुदेवी पत्नी सुरजमल के स्थान पर दाखुदेवी पत्नी सुजाराम दुरूस्त किया जाना तथा तहसीलदार सोजत को फौत दाखु देवी पत्नि सुजाराम के विधिक वारिशान की जांच कर विधिसम्मत नामा0 पारित किया जाने के आदेश दिये जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़ीया के खसरा नम्बर 159, 160 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज दाखुदेवी पत्नी सुरजमल के स्थान पर दाखुदेवी पत्नी सुजाराम दुरूस्त किया जाना तथा फौत दाखु देवी पत्नि सुजाराम के विधिक वारिशान की जांच कर विधिसम्मत नामा0 पारित किया जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब आवश्यक दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 05/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)